न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज0)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 43 / 2019

अपीलार्थी

1. श्री मादाराम पुत्र श्री वैनाजी जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री अन्नाराम पुत्र श्री लालाजी जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. मृतक श्री सवाराम पुत्र श्री वैनाजी जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के वारिसान–

3.1 श्री राजू पुत्र श्री सवाराम जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

3.2 श्री प्रकाश पुत्र श्री सवाराम जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

3.3 श्री कैलाश पुत्र श्री सवाराम जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

3.4 सुश्री टीना पुत्री श्री सवाराम जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

3.5 श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सवाराम जाति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

4. श्री जगदीश पुत्र श्री खंगारजी जााति मेघवाल निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मृतक श्री अचलाराम पुत्र श्री जेठाजी जाति मेघवंशी निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के वारिसान–

1.1 श्रीमती नाथी पत्नि श्री अचलाराम जाति मेघवंशी निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.2 श्री केसाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति मेघवंशी निवासी गोलिया धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2. श्रीमती राधा पत्नि श्री कैलाश पुत्री श्री सवाराम जाति मेघवंशी निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।
3. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार सरकार)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक : 29.03.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्या 03/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 26.07.2019 को प्रस्तुत की है । अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या एक के वारिसानों की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या तीन की ओर से पेरोकार सरकार, द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित करने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री अचलाराम की मृत्यु दिनांक 11.10.2018 को जाने से उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लिया जाने से राजस्व वाद 90 दिन के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का फैसला करने में कानूनी भूल की है। यह है कि वाद सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या श्री सवाराम की मृत्यु हो गई थी, उनके भी कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो गलत है। यह है कि न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 04.07.2017 के द्वारा दावा तहसीलदार न्यायालय में स्थानान्तरण किया था, जबकि उनको यह प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पक्षकार को लौटाना चाहिए था ताकि वह सक्षम न्यायालय में पेश कर सके। यह है कि प्रतिवादी जगदीश को मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है, बल्कि उसकी माता श्रीमती जगनीदेवी पत्नि श्री खंगाररामजी के खसरा संख्या 341 की 05 बिस्वा भूमि आई हुई है, उस पर मकान बना रखा है। पटवारी रिपोर्ट में न तो खसरा संख्या 341 बताया है और न ही नाप लिखा है, तो जगदीश के विरूद्ध कोई मामला ही नहीं बनता है। यह है कि जगदीश का परिवार पिछले 50 वर्षो से रह रहा है एवं प्रतिवादी श्री मादाराम, श्री अन्नाराम व स्व. श्री सवाराम के वारिसान पिछले 40 वर्षों से धनारी बान्ध बना तब से ही काबिज है, जो मौके पर आबादी जमीन है एवं वहां पर सरकारी खर्चे से बाथरूम बने हुए है एवं पडौस में श्री चेलाराम कलबी का पट्टेशुदा परकोटा वाला मकान बना हुआ है। मौके पर वादी श्री अचलाराम की कोई जमीन नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार काश्तकारी अधिनियम अवसान हो चुके है। यह है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2019 में यह नहीं बताया है कि किस प्रतिवादी का किस प्रकार का कब्जा है। दावा 30×160 फीट का है जिसे पटवारी ने मौका रिपोर्ट लिखा है, लेकिन कहा ने नाप लिया एवं क्या सीमाज्ञान किया [illegible] भी उक्त रिपोर्ट में नहीं है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत रिविजन [illegible] 1994 दिनांक 20.04.1995 सुखदेव बनाम लिछमा व अन्य प्रस्तुत [illegible] है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना फरमावें।

जिला कलेक्टर सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 03/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2019 को पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 342 रकबा 1.05 बीघा भूमि पर जबरन कांटों की बाड को उत्तर दिशा की ओर धकेलते हुए करीब 30 फुट चौडाई व करीब 160 फुट लम्बाई पर अवैध कब्जा धारण कर रखा है। यह है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा व उपयोग उपभोग होने से एडवर्स पजेशन होना अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगणों के द्वारा स्वीकार किया गया है। यह है कि पटवारी हल्का धनारी की मौका रिपोर्ट में भी अपीलार्थीगण का कब्जा साबित हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के वारिसानों की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 03/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2019 को पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। पटवारी हल्का धनारी की मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर आवासीय मकान बना रखा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांटगणों ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किए जाने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन कियां एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि पटवार हल्का धनारी के ग्राम गोलिया में आई हुई है। दौराने सुनवाई अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो की और मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री अचलाराम की मृत्यु दिनांक 11.10.2018 को जाने से उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लिया गया एवं वाद सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या श्री सवाराम की मृत्यु हो गई थी, उनके भी कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.01.2016 में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रतिवादी संख्या दो श्री सवाराम की मृत्यु होने की सूचना हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को श्री सवाराम की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भी उनके वारिसानों को रेकर्ड पर नहीं लिया गया। पटवारी हल्का धनारी की रिपोर्ट में भी यह अंकित खसरा संख्या 342 रकबा 1.05 बीघा की खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा की तरफ प्रतिवादी का करीबन 30×165 वर्गफीट भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है, जिस पर श्री जगदीश का आवासीय मकान तथा कब्जाशुदा पडत भूमि है, लेकिन पटवारी हल्का धनारी की उक्त रिपोर्ट में केवल मात्र यह लिखने से कि खसरा संख्या 342 रकबा 1.05 बीघा की खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा की तरफ प्रतिवादी का कब्जा है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि श्री जगदीश का आवासीय मकान तथा कब्जा उक्त खसरा संख्या 342 पर ही है या अन्य किसी खसरे पर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत रिविजन नं. 143/1994 दिनांक 20.04.1995 सुखदेव बनाम लिछमा व अन्य का अवलोकन करने पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दोनों पक्षों के विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लेकर नोटिस जारी कर एवं जवाब, साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार मौके की जांच कर नए सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner